



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी—डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 351 / 15

निर्णय दिनांक 26.2.2018

1. सादक खॉ पुत्र गायड़ खॉ जाति मुसलमान निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09-07-2010  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थित:—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 09-07-2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन इ.गा. न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं वि यत्र नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 22 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/40 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09-07-2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक भूमि आती है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानेर राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरुद्ध है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है।

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09-07-2010 के विरुद्ध अपील दिनांक 2-11-17 को पेश की है। जो करीब 17 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही 4 बीघा भूमि अधिक होने के कारण वरियता से बाहर है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 29-02-2008 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09-07-2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।  
  
(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 22 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/40 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से

यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी के धारण में भूमि 4 बीघा कमाण्ड से अधिक होने के कारण वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना के बाबत् पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा प्रार्थी की पारिवारिक अर्थात् प्रार्थी के दादा, पिता व स्वयं के धारण की भूमि का सम्पूर्ण हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि प्रार्थी के धारण में अधिक भूमि निहित है। यह तथ्य पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से भी साबित है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक निहित है व इसी आधार पर अदात मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(4) चूंकि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि होने से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के विपरीत होने से अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 09-07-2010 बहाल रखा जाता है।
- 8 निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ० राकेश कुमार शर्मा  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर